
प्राक्कथन

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार किया गया है। भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमावली, 2007 तथा निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है।

कोयला लागत कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों के कुल उत्पादन टैरिफ का 60 से 70 प्रतिशत होती है तथा इसका उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसे ध्यान में रखते हुए, एनटीपीसी लिमिटेड के कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों में ईंधन प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा कम्पनी तथा उसके संयुक्त उद्यमों के 26 कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों में से 13 स्टेशनों द्वारा अप्रैल 2010 से मार्च 2016 तक की समयावधि के दौरान की गई ईंधन प्रबंधन गतिविधियों की चर्चा करती है।

लेखापरीक्षा एनटीपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर प्राप्त सहयोग का आभार प्रकट करती है।

